item No. 2.

(A) 5/11/24

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL AT BENCH, BHOPAL
OA No. 63/2024

IN THE MATTER OF:

ABDUL KALAM ...**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF MP & ORS ....**RESPONDENTS**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Action taken Report by the MP PCB	**1-3**
2.	Letter no. 4363 of the MP PCB dated 04.10.2024 in compliance of Hon'ble NGT (PB) Order dated 08.08.2024 passed in **OA 142/2022 (Jayant Kumar v MOEF&CC and Ors.)**	4-5
3.	Letter no. 1351 of Regional Office MP PCB Sagar dated 18.10.2024	6

FILED BY MP PCB
Through

Parul

PARULBHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph.No.:(+91)-8085977111
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BHOPAL

05.11.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL AT BENCH, BHOPAL OA No. 63/2024

IN THE MATTER OF:

ABDUL KALAM **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF MP & ORS **....RESPONDENTS**

ACTION TAKEN REPORT BY THE MP PCB

That the MP PCB most humbly submits before the Hon'ble Tribunal that:

1 . That the issues raised in present application is illegal operation of stone crushers and mining quarries unit in Niwari District.

2. That the Board had filed a detailed joint committee report in the present case on 08.07.2024.

3. That during the pendency of the present case, the Hon'ble NGT (PB) in the case of OA 142/2022 (Jayant Kumar v MOEF&CC and Ors.) had passed a order dated 08.08.2024 regarding the operation of the mines which were having environmental clearance from the DIEAA. The operative part of the order is as follows:

"*142. Therefore, a reasonable view needs to be taken in this matter. To meet the ends of justice and also to implement the environmental laws and applying the Precautionary Principle and Sustainable Development, we are of the view that mining leases continuing pursuant to ECs granted by DEIAAs upto 11.12.2018, must be appraised/re-appraised by concerned SEIAAs within three months from this judgment. Thereafter, if no decision is taken in favour of mining lease holders or no appraisal is made, the mining by lease holders who have been granted ECs*

by DEIAA shall not be allowed to operate. Further in all those cases where ECs have been granted by DEIAAs on and after 12.12.2018, such mining leases shall not be allowed to operate forthwith since such ECs are illegal. In such cases appraisal has to be made by concerned SEIAA and ECs are to be granted in accordance with the provisions of EIA 2006 as amended from time to time."

4. In compliance of the above order the MP PCB Head Office Bhopal all the Regional Officers of the Board through letter no. Letter no. 4363 dated 04.10.2024 to ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble NGT (PB) in order dated 08.08.2024. A copy of this letter is filed herewith as **Annexure R-1.**

5. That it is further submitted that with regards to the present case the Regional Officer MP PCB Sagar has also issued a letter to the concerned Mining Officers to ensure that no mine having EC from the DIEAA should be allowed to operate after 07.11.2024, unless such EC is reappraised by the SEIAA as per law. A copy of this letter no, 1351 dated 18.10.2024 is filed herewith as **Annexure R-2.**

6. That the Hon'ble Tribunal may kindly take this action report on record.

FILED BY MP PCB
Through

Parul

BHOPAL

PARULBHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph.No.:(+91)-8085977111
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

05.11.2024

158

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

Tel.No.-0755246442८९ 2466191 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक /तक/प्रनिबो/2024, भोपाल, दिनांक / /2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/धार/गुना/ग्वालियर/सागर/छिन्दवाड़ा
/सतना/रीवा/सिंगरौली/जबलपुर/शहडोल/ कटनी (म.प्र.)

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 142/2022 (जयंत कुमार विरूद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 08.08.2024 को निराकृत आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 142/2022 (जयंत कुमार विरूद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.08.2024।

विषयांतर्गत संदर्भित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08.08.2024 को पारित निराकृत आदेश का कृपया अवलोकन हो। प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश दिये गये है : -

1. किसी भी नेशनल पार्क, वाइड लाइफ सेंचुरी एवं रिर्जव फॉरिस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरिस्ट की सीमा से एक कि.मी की परिधि का क्षेत्र ईको सेंसटिव जोन निर्धारित किया जाकर इस क्षेत्र में किसी भी तरह का माईनिंग कार्य किया जाना प्रतिवंधित किया गया है।
2. किसी भी जिले की DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 के पश्चात् जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों के आधार पर किसी भी खदान का संचालन नहीं किया जायेगा पूर्व में यह दिनांक 13.09.2018 निर्धारित थी।
3. DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का, अधिकरण द्वारा आदेश जारी दिनांक 08.08.2024 से 03 माह में SEIAA द्वारा रीएपराईजल किया जाये। इस अवधि में माइनिंग लीज धारक के पक्ष में निर्णय न होने अथवा एपराईजल न होने की स्थिति में ऐसी खदानों का संचालन आदेश दिनांक 08.08.2024 से 03 माह अर्थात् दिनांक 07.11.2024 के उपरांत नहीं किया जावेगा। इस संबंध में आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण संबंधी ओ.एम. भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पृथक से जारी किया जाये।

अधिकरण के संदर्भित आदेश की प्रति भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु संलग्न कर प्रेपित है।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

Hindi letter AS-1

15

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

Tel.No.-07552464428ए 2466191 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in

LiFE Lifestyle for Environment

पृ.क्रमांक 4363 /तक/प्रनिबो/2024, भोपाल, दिनांक 4 /10/2024

प्रतिलिपि:-

1. पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण SEIAA मध्य प्रदेश की ओर माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म अरेरा हिल्स भोपाल की ओर माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिलाध्यक्ष- जिला (समस्त) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डायरेक्टर पर्यावरण (विधि/प्रशासन) की ओर संदर्भित पत्र क्रमांक 2790 दिनांक 27.08.2024 के तहत् सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती पारूल भदौरिया, वोर्ड अधिवक्ता म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

UDC (L)
4/X

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर
E-mail:- romppcb_sagar@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1351 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2024 सागर, दिनांक 18/10/2024

प्रति,

प्रभारी खनिज अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला–सागर / दमोह / छतरपुर / पन्ना / टीकमगढ़ / निवाड़ी (म.प्र.)

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 142 / 2022 (जयंत कुमार विरूद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 08.08.2024 को निराकृत आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 142 / 2022 (जयंत कुमार विरूद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.08.2024

विषयांतर्गत संदर्भित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 142 / 2022 में दिनांक 08.08.2024 को पारित निराकृत आदेश का कृपया अवलोकन हो। प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश दिये गये हैः–

1. किसी भी नेशनल पार्क, वाइड लाइफ सेंचुरी एवं रिर्जव फॉरेस्ट / प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से एक कि.मी की परिधि का क्षेत्र ईको सेंसटिव जोन निर्धारित किया जाकर इस क्षेत्र में किसी भी तरह का माईनिंग कार्य किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

2. किसी भी जिले की DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 के पश्चात् जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों के आधार पर किसी भी खदान का सचालन नहीं किया जायेगा पूर्व में यह दिनांक 13.09.2018 निर्धारित थी।

3. DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का, अधिकरण द्वारा प्रेषित है।

आदेश जारी दिनांक 08.08.2024 से 03 माह में SEIAA द्वारा रीएपराईजल किया जाये। इस अवधि में माइनिंग लीज धारक के पक्ष में निर्णय न होने अथवा एपराईजल न होने की स्थिति में ऐसी खदानों का संचालन आदेश दिनांक 08.08.2024 से 03 माह अर्थात् दिनांक 07.11.2024 के उपरांत नहीं किया जावेगा। इस संबंध में आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण संबंधी ओ.एम. भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पृथक से जारी किया जाये।

अधिकरण के संदर्भित आदेश की प्रति भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार आदेश की प्रति

o/c

(के.पी. सोनी),
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर

क्रमांक 1352 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2024 सागर, दिनांक 18/10/2024

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला–सागर / दमोह / छतरपुर / पन्ना / टीकमगढ़ / निवाड़ी (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. गार्ड फाइल।

o/c

(के.पी. सोनी),
क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर